



40

निगरानी 2282-PBR-15

रिविजन प्र.क्र. /2015

प्रस्तुति दि. : .07.2015

रा.रा. माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर इंदौर के समक्ष

अशोक कुमार पिता केशरीमल जैन

निवासी- बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.)

---प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्री रमेशचंद्र पिता श्री बालचंद्र जैन,
निवासी- मनावर जिला धार (म.प्र.)
2. श्रीमती सरिता पति अरविंद गुप्ता,
निवासी- बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.)

बी राहुल विजयवर्गीय
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 8-7-2015
को प्रस्तुत

1345/08-07-2015

श्री
आयुक्त कार्यालय
इंदौर संभाग

--- प्रतिप्रार्थीगण

रिविजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

माननीय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर (श्रीमान एस.पी.एस. सलूजा साहब) के द्वारा द्वितीय अपील क्र. 405/13-14 में दिनांक 06.05.2015 को पारित आदेश से दुखी एवं व्यथित होकर यह रिविजन याचिका प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना भाग हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय तथा वैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखते हुवे उक्त आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

कमलेश कुमार / रमेशचन्द्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक. R 2282 PSE/15 जिला मन्दावी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--

21.4-2016

आवेदक की ओर से श्री गुरुजी विजयवीर अभिभाषक ने उपाध्यत होकर प्रकरण नही चर्चार्ने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नही चर्चार्ने के कारण समाप्त किया जाता है।

Met Pse 882
21/4/16

अध्यक्ष